



## कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक / 501 / री.ए.डी.एम. / 2020

इन्दौर, दिनांक 18-3-2020

### “आदेश”

( अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

सर्वसाधारण की जानकारी में यह लाना आवश्यक हो गया है कि दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ जो अब 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। दिनांक 31.1.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस को Public Health Emergency of International Concern होने से महामारी (pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-02/2020/सत्रह/मेडी-2 दिनांक 7 मार्च 2020 के परिपेक्ष में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। अतः नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष्य में जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से इन्दौर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में, मैं लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करता हूँ:

हवाई, रेल अथवा सड़क मार्ग से इंदौर जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों संबंधी -

1. इन्दौर जिले की सीमा के बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्ति व्यक्तियों की जांच चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी। वर्तमान में यह व्यवस्था एयरपोर्ट पर आ रहे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए है परंतु संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सीय जांच की व्यवस्था प्रारंभ की गई तो प्रत्येक व्यक्ति यात्री को चिकित्सीय जांच कराना अनिवार्य होगा।
2. कोविड 19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित संस्था हेतु निर्देश -

1. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक Q/60/20/2012 दिनांक 15.3.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में दिनांक 31 मार्च 2020 तक अवकाश रहेगा। परन्तु उक्त आदेश अनुसार वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

2. मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 249/68/C.C/38 दिनांक 13.3.2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालय में आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा। परन्तु प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
3. संचालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक आईसीडीएस/4354 दिनांक 14.3. 2020 में दिए गए निर्देश अनुसार जिले के समस्त आंगनबाड़ी केंद्र तथा मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को 31 मार्च 2020 तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाएगा।
4. समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/ सेंटर भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित की जाती है कि जाएं।
5. समस्त प्रकार की हॉबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित समस्त हॉबी क्लासेस/वर्कशॉप आदि भी दिनांक 31 मार्च 2020 तक स्थगित किए जाएं।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 36 प्र.स./ स्वा/ सत्रह/मेडि-तीन दिनांक 15.3.2020, विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 13.3.2020 अनुसार जारी निर्देश एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 उपबंध अन्तर्गत अन्य प्रतिबंधित इस प्रकार होंगे:-


- 1) समस्त वाचनालय, वॉटर पार्क, जिम्नेशियम, मैरिज हॉल/गार्डन दिनांक 31.3.2020 तक संचालित नहीं होंगे।
- 2) समस्त सिनेमा हॉल एवं डिस्कोथेक दिनांक 31.3.2020 तक बंद रखे जाएं।
- 3) कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रखी जा जाए।
- 4) आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह दिनांक 31मार्च 2020 तक स्थगित रहेंगे।
- 5) समस्त मॉल एवं मॉल में संचालित समस्त दुकाने/आउटलेट/शोरूम आदि दिनांक 31 मार्च 2020 तक बंद रहेंगे। परन्तु यह प्रतिबंध मॉल में संचालित ग्रॉसरी/किराना स्टोर साफ सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किए जा सकेंगे।
- 6) समस्त अंतर्राज्य एवं अंतरजिला बस संचालित कर रहे संचालक/ऑपरेटर नियमित रूप से बस की साफ सफाई/फ्यूमिगेशन एवं कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेंगे।
- 7) शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान जहां लोगों का आवागमन अधिक हो (उदाहरणार्थ अस्पताल, बैंक, सब्जी मण्डी, पार्क आदि) वहां पर भी नियमित रूप से साफ सफाई एवं परिसर में उपयुक्त स्थानों पर कोरोना वायरस से संक्रमण के उपाय का प्रचार सुनिश्चित किया जाए।

चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जनमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके, अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। यह आदेश दिनांक 18/03/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से



जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 18/03/2020 से 31/03/2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

  
(लोकेश कुमार जाटव)  
कलेक्टर  
जिला इन्दौर

पृ०क्र० 502 /री.ए.डी.एम./2020  
प्रतिलिपि-

इन्दौर, दिनांक 18-3-2020

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
5. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
6. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
7. पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
8. उप पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर
9. समस्त अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी/अपर कलेक्टर, इन्दौर
10. एयरपोर्ट डायरेक्टर, इन्दौर
11. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, इन्दौर
12. एस.डी.ओ. (पुलिस), डा. अम्बेडकर नगर(महू), सावेर, देपालपुर।
13. नगर पुलिस अधीक्षक, सेन्द्रल कोतवाली, संयोगितागंज, परदेशीपुरा, विजयनगर, जूनी इन्दौर, सराफा, मल्हारगंज, अन्नपूर्णा, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्दौर
14. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर
15. थाना प्रभारी, थाना.....जिला इन्दौर की ओर अपने प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करायेज जाने हेतु प्रेषित।
16. निदेशक आका तवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित।
17. उप संचालक, जन संपर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाश हेतु अग्रेषित।
18. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी., कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर।

  
कलेक्टर  
जिला इन्दौर

## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला जबलपुर

क्रमांक/ 2471 /एस.डब्ल्यू/2020

जबलपुर, दिनांक 20 मार्च 2020

### आदेश


मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.02.2020 जिसमें संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये नोवल कोरोना (COVID-19) अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है। इस कार्यालय के धारा 144 के आदेश क्रमांक 2324/एस.डब्ल्यू/2020 दिनांक 16 मार्च 2020 के द्वारा प्रायवेट संस्थानों, स्कूलों, कालेजों, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक आयोजनों, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल आदि को 31 मार्च 2020 तक बंद रखने के आदेश जारी किये गये थे।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/38/ACS/GAD/2020 भोपाल दिनांक 19.03.2020 के माध्यम से भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 19.03.2020 में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु 50 प्रतिशत कर्मचारियों को Alternate दिवस पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं।

विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि प्रायवेट संस्थाएं, स्कूलों, कालेजों, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक आयोजनों, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल आदि को बंद तो किया गया है परन्तु यहां कार्यरत कर्मचारियों से कार्य संपादित कराया जा रहा है। उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही कर्मचारियों को बुलाया जाये जैसे सुरक्षा/सफाई या अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से संबंधित कर्मचारी उनमें भी शासन निर्देशानुसार 50 प्रतिशत कर्मचारियों को Alternate दिवस पर बुलाया जाकर इनसे आवश्यक कार्य संपादित कराया जाये।

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता क धारा-144(1) के अंतर्गत जन संपर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश का समाचार के रूप में समाचार पत्रों में तथा रेडियो एवं दूरदर्शन पर जनसामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत करवा जावे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी भी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत करावे।

यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश आज दिनांक 20.03.2020 से 31.03.2020 तक प्रभावशील होगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 20.03.2020 को जारी किया गया।

  
20/03/2020  
(भरत यादव)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जिला जबलपुर